

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद / 2018 / 156  
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक:- 19.02.18  
विप्रार्थीगण

1. आसूराम पुत्र चुतराराम वगैरा 4  
जाति जाट निवासी मगोणी  
नगर, बायतु भोपजी तह. बायतु  
जिला बाड़मेर


1. भैराराम पुत्र गुमानाराम वगैरा 28  
निवासी मगोणी नगर, बायतु  
भोपजी तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 19/18


आदेश

मौजा मगोणी नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 761/734 रकबा 42.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
(हेताराम चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 19.02.2018

क्रमांक/वाद/2018/146-151  
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आसूराम पुत्र चुतराराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री भैराराम पुत्र गुमानाराम वगैरा 28।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत.....

मुकाम.....

बनाम.....

अशरफ कोर

किस्म मुकदमा.....

111/128

राजस्थान अधिनियम

नं.....

13

सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.18	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19.02.18 को पेश हो।</p>	
12/02/18	<p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी वकील उपस्थित। उ नोटिस तामील हुआ जात जिले शामिल पत्रावली दिना गथा। विप्राथी उक्त वाकजुड तामिल अनु उपस्थित। प्राथी के अधिकता की उपस्थित बहस हुनी गई, प्राथी के अधिकता ने ठावला ही प्राथी के अपने प्यारेगी प्येले की पक्षी नैयामवनी मोडे पर हुतानी काव- रथउ ई इमलिष प्राथी का नैयामवनी फावेडन स्वीकार किया जाउर नैयामवनी फावेडन किया जावे। कतः प्राथी का फावेडन स्वीकार किया जाउर एटमीलडर ठावला के इमीशनर नियुक्त किया जाता है व फावेडन किया जाता है कि फाय स्वमं प्रा कपने अधिनियम किनी नी अधिमिलेय निरिस्तु, प्राथी के प्यारेगी प्येले की पक्षी नैयामवनी मोडे पर मुल्लु जमाउराउर उरे पालमा रिजेट जात होने पर शामिल पत्रावली ही पत्रावली मेलर हुतार ई दर्ज नम्बर ले उर ई दाखिल हुतार हा।</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO)

सहायक कलेक्टर (SDO)